राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
बोली दस्तावेज - माल
एकल चरण - दो लिफाफा बोली
निबंधक ,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर |
दूरभाष : 91-145-2627620 **फैक्स** : 91-145-2427072, 2627001 **ई : मेल-**bor-rj@nic.in

UBN -> BOR2324GSLB00011

अल्पकालीन बोली आमंत्रण की सूचना

(NOTICE INVITING BIDS)

(22.02.2024)

Nib No. BOR/ Limited Bid/Goods Purchase/Rs.195000/2024/ 17 **Dt. :** 22/2/2024

1. राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मण्डल कार्यालय में निम्नलिखित विषय वस्तुओं के उपापन के लिए निर्माता/वितरक/अधिकृत डीलरों/स्टॉकिस्टों/पंजीकृत बोलीदाताओं/वास्तविक डीलरों से शर्तरहित, मुहरबंद आधारित एकल चरण दो लिफाफा बोलियाँ (सीमित बोली) आमंत्रित की जा रही है:-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण
1.	**Risograph Paper Ream A3** **297 mm X 420 mm 70 GSM or more per unit (500 Sheets per Ream)**

2. बोलियों के मूल्यांकन सीमित बोली के अधिनिर्णय में बोली दस्तावेज में यथा वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
3. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिज़ाइन/ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते हैं। बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट **www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor** एवं स्टेट उपापन पोर्टल **www.sppp.gov.in** पर देख सकते हैं एवं डाउनलोड कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।
4. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नही की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
5. बोलीयाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक : 26/02/2024 को समय 11:00 AM पर खोली जाएगी।
6. उपापन संस्था सर्वाधिक कम राशि वाली बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है, एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
7. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी 'पैन कार्ड की प्रति' जमा करनी होगी।
8. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
9. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।